मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: संशोधन ::

भोपाल दिनांक 23.08.2016

क्र. एफ 16-03/2016/बी-ग्यारह: विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 10.08.2016 (छायाप्रति संलग्न है) के पृष्ठांकन के सरल क्रमांक 08 में त्रुटिवश आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मान ट्यूबिनॉक्स इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, पाईप्स कोटिंग कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं. 257-बी, 258-बी, सेक्टर-1, पीथमपुर, जिला धार 454775 अंकित हो गया है **के स्थान पर आथोराइज्ड सिग्नेटरी मान ट्यूबिनॉक्स लिमिटेड प्लाट क्रमांक 847, सेक्टर 03 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार पढ़ा जावें।**

(व्ही. के. बरोनिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. एफ16-03/2016/बी-ग्यारह

भोपाल दिनांक 23.08.2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी मान ट्यूबिनॉक्स लिमिटेड प्लाट क्रमांक 847, सेक्टर 03 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर जिला धार 454775।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
:: आदेश ::

M.P. Trade & Investment Facilitation Corporation Ltd.
[illegible] 3007

भोपाल दिनांक 10.08.2016

क्र. एफ 16-03/2016/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स मान ट्यूबिनॉक्स लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार में रू. 158.00 करोड़ के स्थायी पूंजी निवेश से स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाईप्स निर्माण परियोजना वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे:-

(i) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल के क्रय दिनांक से 07 वर्ष हेतु छूट दी जाएगी ।

(ii) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी प्रावधानित सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

(iii) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

2. **अन्य सुविधा-**

(I) **विद्युत टेरिफ में रियायत-** विद्युत टेरिफ में रू. 1.00 (रूपये एक) प्रति यूनिट की दर से परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष तक रियायत होगी।

(II) जीएसटी प्रणाली लागू होने पर परियोजना को उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के अंतर्राज्यीय विक्रय पर चुकाये गए स्टेट जीएसटी (जिसमें प्रवेश कर भी शामिल है) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति (इनपुट क्रेडिक का शुद्ध) इस शर्त पर की जावेगी, कि चुकाई गयी कर राशि वास्तविक रूप से मध्यप्रदेश सरकार के कोष में एकत्रित हुई है। यह भी कि जीएसटी प्रणाली लागू होने पर स्टेट जीएसटी की प्रतिपूर्ति उस कर दर पर की जावेगी, जो उस विशिष्ट वस्तु पर प्रभार्य वर्तमान प्रचलित मूल्य संवर्धित कर/प्रवेश कर की दरों से अधिक नहीं होगी। यह भी कि सहायता राशि इकाई अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल पूंजी निवेश की राशि से अधिक नहीं होगी।

निरंतर...

3. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

10/8/16

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

M(J)

16.8.2016

पृ.क्र. एफ16-03/2016/बी-ग्यारह भोपाल **दिनांक 10.08.2016**

प्रतिलिपि, 16/8/16

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग, भोपाल।
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इंदौर) लि., इंदौर ।
8. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स मान ट्यूबिनॉक्स इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड, पाईप्स कोटिंग कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं. 257-बी, 258-बी, सेक्टर-1, पीथमपुर, जिला धार 454775

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग